## विषय-सूची

| भाग-2 धारा 1 से 25   अध्याय 1 : प्रारम्भिक (धारा 1 से 5)   अध्याय 2 : दण्ड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन (धारा 6 से 25)     भाग-3 धारा 26 से 60   20-2   अध्याय 3 : न्यायालयों की शक्ति (धारा 26 से 35)   अध्याय 4 : विरेष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता (धारा 36 से 40)   अध्याय 5 : व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)   भाग-4 धारा 61 से 90   30-3   अध्याय 6 : हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 61 से 90)   भाग-5 धारा 91 से 124   37-4   अध्याय 7 : चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 91 से 105)   अध्याय 7क : कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की तथा सम्पहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 105व)   अध्याय 8 : परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)   भाग-6 धारा 125 से 128   45-4   अध्याय 9 : पत्ती, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश (धारा 125 से 128)   भाग-7 धारा 129 से 148   50-5   अध्याय 10 : लोक व्यवस्था व प्रशान्ति बनाए रखना (धारा 129 से 148)   भाग-8 धारा 149 से 176   अध्याय 11 : पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)   अध्याय 12 : पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)  |   | प्रमुख धाराएँ   | . 3–8   |
|--|---|---|---------|
| <ul> <li>अध्याय 1: प्रारम्भिक (धारा 1 से 5)</li> <li>अध्याय 2: वण्ड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन (धारा 6 से 25)</li> <li>भाग-3 धारा 26 से 60</li> <li>अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति (धारा 26 से 35)</li> <li>अध्याय 4: विरष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ एवं मिजस्ट्रेट और पुलिस को सहायता (धारा 36 से 40)</li> <li>अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)</li> <li>भाग-4 धारा 61 से 90</li> <li>अध्याय 6: हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 61 से 90)</li> <li>भाग-5 धारा 91 से 124</li> <li>अध्याय 7: चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 91 से 105)</li> <li>अध्याय 7क: कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की तथा समपहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 1053)</li> <li>अध्याय 8: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभृति (धारा 106 से 124)</li> <li>भाग-6 धारा 125 से 128</li> <li>अध्याय 9: पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश (धारा 125 से 128)</li> <li>भाग-7 धारा 129 से 148</li> <li>अध्याय 10: लोक व्यवस्था व प्रशान्ति बनाए रखना (धारा 129 से 148)</li> <li>भाग-8 धारा 149 से 176</li> <li>अध्याय 11: पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)</li> <li>अध्याय 12: पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)</li> </ul> | • | भाग-1 सामान्य   | . 9–10  |
| — अध्याय 2 : वण्ड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन (धारा 6 से 25)  ### 17-3 धारा 26 से 60  — अध्याय 3 : न्यायालयों की शक्ति (धारा 26 से 35)  — अध्याय 4 : विष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता (धारा 36 से 40)  — अध्याय 5 : व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)  ### 14 धारा 61 से 90  — अध्याय 6 : हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 61 से 90)  #### 124  — अध्याय 7 : चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 91 से 105)  — अध्याय 7क : कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की तथा समपहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 105ठ)  — अध्याय 8 : परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)  ###################################  |   | भाग-2 धारा 1 से 25  | . 11–19 |
| भाग-3 धारा 26 से 60  |   | — अध्याय 1 : प्रारम्भिक (धारा 1 से 5)   |         |
| <ul> <li>अध्याय 3: न्यायालयों की शक्ति (धारा 26 से 35)</li> <li>अध्याय 4: विरष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता (धारा 36 से 40)</li> <li>अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)</li> <li>भाग-4 धारा 61 से 90</li> <li>अध्याय 6: हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 61 से 90)</li> <li>भाग-5 धारा 91 से 124</li> <li>अध्याय 7: चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 91 से 105)</li> <li>अध्याय 7क: कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की तथा समपहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 105ठ)</li> <li>अध्याय 8: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)</li> <li>भाग-6 धारा 125 से 128</li> <li>अध्याय 9: पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश (धारा 125 से 128)</li> <li>भाग-7 धारा 129 से 148</li> <li>अध्याय 10: लोक व्यवस्था व प्रशान्ति बनाए रखना (धारा 129 से 148)</li> <li>भाग-8 धारा 149 से 176</li> <li>अध्याय 11: पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)</li> <li>अध्याय 12: पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)</li> </ul>  |   | <ul> <li>अध्याय 2 : दण्ड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन (धारा 6 से 25)</li> </ul>                   |         |
| — अध्याय 4 : वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता (धारा 36 से 40) — अध्याय 5 : व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)  • भाग-4 धारा 61 से 90   |   | भाग-3 धारा 26 से 60   | . 20–29 |
| सहायता (धारा 36 से 40)  — अध्याय 5 : व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)  • भाग-4 धारा 61 से 90  |   | — अध्याय 3 : न्यायालयों की शक्ति (धारा 26 से 35)  |         |
| <ul> <li>अध्याय 5 : व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)</li> <li>भाग-4 धारा 61 से 90</li></ul>   |   | <ul> <li>अध्याय 4 : वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ एवं मिजस्ट्रेट और पुलिस को</li> </ul>         |         |
| भाग-4 धारा 61 से 90  |   | सहायता (धारा 36 से 40)  |         |
| <ul> <li>अध्याय 6: हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 61 से 90)</li> <li>भाग-5 धारा 91 से 124</li></ul>  |   | <ul><li>अध्याय 5 : व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)</li></ul>                                  |         |
| <ul> <li>अध्याय 6: हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 61 से 90)</li> <li>भाग-5 धारा 91 से 124</li></ul>  |   | भाग-4 धारा 61 से 90   | . 30–36 |
| <ul> <li>अध्याय 7: चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 91 से 105)</li> <li>अध्याय 7क: कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की तथा समपहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 105ठ)</li> <li>अध्याय 8: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)</li> <li>भाग-6 धारा 125 से 128</li> <li>अध्याय 9: पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश (धारा 125 से 128)</li> <li>भाग-7 धारा 129 से 148</li> <li>अध्याय 10: लोक व्यवस्था व प्रशान्ति बनाए रखना (धारा 129 से 148)</li> <li>भाग-8 धारा 149 से 176</li> <li>अध्याय 11: पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)</li> <li>अध्याय 12: पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)</li> </ul>  |   | <ul> <li>अध्याय 6: हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 61 से 90)</li> </ul>                |         |
| <ul> <li>अध्याय 7: चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 91 से 105)</li> <li>अध्याय 7क: कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की तथा समपहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 105ठ)</li> <li>अध्याय 8: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)</li> <li>भाग-6 धारा 125 से 128</li> <li>अध्याय 9: पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश (धारा 125 से 128)</li> <li>भाग-7 धारा 129 से 148</li> <li>अध्याय 10: लोक व्यवस्था व प्रशान्ति बनाए रखना (धारा 129 से 148)</li> <li>भाग-8 धारा 149 से 176</li> <li>अध्याय 11: पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)</li> <li>अध्याय 12: पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)</li> </ul>  |   | भाग-5 धारा 91 से 124  | 37_44   |
| <ul> <li>अध्याय 7क : कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की तथा समपहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 105ठ)</li> <li>अध्याय 8 : परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)</li> <li>भाग-6 धारा 125 से 128</li></ul>  |   |   | . 57 44 |
| तथा समपहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 105ठ)  — अध्याय 8 : परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)  • भाग-6 धारा 125 से 128  |   | ,   |         |
| <ul> <li>अध्याय 8: परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)</li> <li>भाग-6 धारा 125 से 128</li></ul>   |   | ğ ,   |         |
| <ul> <li>अध्याय 9: पत्नी, सन्तान और माता-िपता के भरण-पोषण के लिए आदेश (धारा 125 से 128)</li> <li>भाग-7 धारा 129 से 148</li></ul>   |   | <ul> <li>अध्याय 8 : परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)</li> </ul> |         |
| <ul> <li>अध्याय 9: पत्नी, सन्तान और माता-िपता के भरण-पोषण के लिए आदेश (धारा 125 से 128)</li> <li>भाग-7 धारा 129 से 148</li></ul>   |   | भाग-6 धारा 125 से 128   | . 45–49 |
| <ul> <li>भाग-7 धारा 129 से 148</li> <li>अध्याय 10: लोक व्यवस्था व प्रशान्ति बनाए रखना (धारा 129 से 148)</li> <li>भाग-8 धारा 149 से 176</li> <li>अध्याय 11: पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)</li> <li>अध्याय 12: पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)</li> </ul>   |   |   |         |
| <ul> <li>अध्याय 10 : लोक व्यवस्था व प्रशान्ति बनाए रखना (धारा 129 से 148)</li> <li>भाग-8 धारा 149 से 176</li></ul>   |   |   | 50-54   |
| <ul> <li>भाग-8 धारा 149 से 176</li> <li>अध्याय 11: पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)</li> <li>अध्याय 12: पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)</li> </ul>   |   |   |         |
| <ul> <li>अध्याय 11 : पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)</li> <li>अध्याय 12 : पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)</li> </ul>  |   |   | 55_60   |
| <ul> <li>अध्याय 12: पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)</li> </ul>  |   |   | . 22 00 |
| 5  |   | •   |         |
| 111-0 kild 1.1.1 ft 100 PI - VI-V  |   | भाग-9 धारा 177 से 199   | 61_67   |
| <ul><li>अध्याय 13 : जाँचों और विचारणों में दण्ड न्यायालय की अधिकारिता (धारा 177 से 189)</li></ul>  |   |   | . 01–07 |
| — अध्याय 14: कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए आपेक्षित शर्तें (धारा 190 से 199)   |   | ` '   |         |
| <ul> <li>भाग-10 धारा 200 से 210</li> </ul>   |   |   | 68_71   |
| — अध्याय 15 : मजिस्ट्रेटों से परिवाद (धारा 200 से 203)   |   |   | . 00-/1 |
| — अध्याय 16: मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना (धारा 204 से 210)  |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |         |

|   | भाग-11 धार | T 211         | से 22  | 72–75   |
|---|------------|---------------|--|---------|
|   | — अध्या    | य 17 :        | आरोप (धारा 211 से 224)   |         |
| • | भाग-12 धार | T 225         | इ.स. 265   | 76–83   |
|   |            |               | सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण (धारा 225 से 237)                        |         |
|   |            |               | मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट मामलों का विचारण (धारा 238 से 250)          |         |
|   | — अध्या    | य 20 :        | मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण (धारा 251 से 259)             |         |
|   | — अध्या    | य 21 :        | संक्षिप्त विचारण (धारा 260 से 265)                                     |         |
|   | भाग-13 धार | T 266         | ज्ये <b>299</b>  | 84–88   |
|   | — अध्या    | य 22 :        | कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी (धारा 266 से 271) |         |
|   | — अध्या    | य 23 :        | जाँच एवं विचारणों में साक्ष्य (धारा 272 से 299)                        |         |
|   | भाग-14 धार | T <b>30</b> 0 | ) से 327   | 89–94   |
|   | — अध्या    | य 24 :        | जाँच तथा विचारण के बारे में साधारण उपबन्ध (धारा 300 327)               |         |
|   | भाग-15 धार | T 328         | 3 से 352   | 95–98   |
|   |            |               | विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध (धारा 328 से 339)    |         |
|   | — अध्या    | य 26 :        | न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबन्ध          |         |
|   |            |               | (धारा 340 से 352)  |         |
| • | भाग-16 धार | T 353         | इ.से <b>371</b>  | 99–102  |
|   | — अध्या    | य 27 :        | निर्णय (धारा 353 से 365)   |         |
|   | — अध्या    | य 28 :        | मृत्यु दण्डादेशों का पुष्टि के लिए भेजा जाना (धारा 366 से 371)         |         |
| • | भाग-17 धार | T 372         | र से <b>405</b>  | 103–107 |
|   | — अध्या    | य 29 :        | अपीलें (धारा 372 से 394)   |         |
|   | — अध्या    | य 30 :        | निर्देश व पुनरीक्षण (धारा 395 से 405)                                  |         |
| • | भाग-18 धार | T <b>40</b> 6 | ज्ये <b>435</b>  | 108–112 |
|   | — अध्या    | य 31 :        | आपराधिक मामलों का अन्तरण (धारा 406 से 412)                             |         |
|   | — अध्या    | य 32 :        | दण्डादेशों का निष्पादन, निलम्बन, परिहार व लघुकरण (धारा 413 से 435)     |         |
| • | भाग-19 धार | T 436         | ज्ये <b>459</b> 1  | 113–117 |
|   | — अध्या    | य 33 :        | जमानत व बन्धपत्रों के बारे में उपबन्ध (धारा 436 से 450)                |         |
|   | — अध्या    | य 34 :        | सम्पत्ति का व्ययन (धारा 451 से 459)                                    |         |
| • | भाग-20 धार | T <b>46</b> 0 | ) से <b>484</b>  | 118–120 |
|   | — अध्या    | य 35 :        | अनियमित कार्यवाहियाँ (धारा 460 से 466)                                 |         |
|   | — अध्या    | य 36 :        | कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा (धारा 467 से 472)           |         |
|   | — अध्या    | य 37 :        | प्रकीर्ण (धारा 473 से 484)   |         |
|   | विविध धारा | 1 से 4        | <b>484</b>   | 121–140 |